सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 12/2020 दिनांक 12.03.2020

O/o CE (EITC)
Receipt No. 1263
Date 11 JUN 2020
DGM (IT)/SE (O)
EE
Section

श्री संतोष कोसरिया
खरोरा, तहसील– तिल्दा,
जिला– रायपुर

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया,
रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 10/06/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री संतोष कोसरिया खरोरा, जिला– रायपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 12/2020 दिनांक 12.03.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री संतोष कोसरिया द्वारा आवेदन दिनांक 14.02.2020 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद के भर्ती परीक्षा के संबंध में 02 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है :–

(अ) उपरोक्त भर्ती हेतु दस्तावेज परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवारों के ऑनलाईन परीक्षा में प्राप्तांक की वर्गवार जानकारी।

(ब) उपरोक्त भर्ती हेतु दस्तावेज परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवारों के कौशल परीक्षा में प्राप्तांक की वर्गवार जानकारी।

प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को 01 पृष्ठ की जानकारी उपलब्ध करायी गई है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन दिनांक 12.03.2020 प्रस्तुत की गई है, जो इस कार्यालय में दिनांक 12.03.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन को पंजीयन क्रमांक 12/2020 दिनांक 12.03.2020 द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(3) सूचना पत्र क्रमांक 1210 दिनांक 14.05.2020 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 04.06.2020 को सांय 4.00 बजे कक्ष क्रमांक जी –09 में निर्धारित कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री कोसरिया को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि एवं समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

निर्धारित तिथि को अपीलार्थी श्री कोसरिया एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के अवकाश उपरांत उनके स्थान पर सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह प्रबंधक (मा.सं.) उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गई है। उक्त जानकारी प्रबंधक (मा.स.)–तीन होल्डिंग कंपनी के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके तारतम्य में संबंधित प्रभाग द्वारा 01 पृष्ठ की जानकारी उपलब्ध कराते हुए, लेख किया गया है कि रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र के लिए जारी विज्ञापन के अंतर्गत दस्तावेजों के परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवारों में से चयनित उम्मीदवारों के कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट में प्राप्त अंको की जानकारी पॉवर कंपनी की वेबसाइट WWW.CSPC.CO.IN में उपलब्ध है। शेष उम्मीदवारों की जानकारी संधारित नही की गई है। बिन्दु क्रमांक 01 व 02 के अंतर्गत वांछित शेष जानकारी/दस्तावेज आवेदक को प्रदान करने के लिए सृजित करना होगा। जबकि भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1/18/2011–आई.आर. दिनांक 16.09.2011 के अनुसार वांछित जानकारी/दस्तावेज सृजन कर दिये जाने का प्रावधान नही है।

अतएव जानकारी 01 पृष्ठ में उपलब्ध होने के कारण धारा (7) 1 के तहत अभिलेख शुल्क रूपये 2/–मात्र का भुगतान करने बाबत् आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत करायी गई। आवेदक द्वारा अभिलेख शुल्क रूपये 2/–मात्र का भुगतान नगद के माध्यम से किया गया। तद्पश्चात् आवेदक को पत्र क्रमांक 854 दिनांक 07.03.2020 के माध्यम से जानकारी 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी गई।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी तथा प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि कंड़िका 4/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है, जो स्वीकार योग्य है।

(iii) अपीलार्थी का तर्क कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से वे संतुष्ट नही है। अतः उन्हे पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

(iv) प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन की कंड़िका 2/–टीप के संदर्भ में कंडिका 4/–टीप के अंतर्गत कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है कि रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र के लिए जारी विज्ञापन के अंतर्गत दस्तावेजों के परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवारों में से चयनित उम्मीदवारों के ऑनलाईन परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट में प्राप्त अंको की जानकारी पॉवर कंपनी की वेबसाइट WWW.CSPC.CO.IN में उपलब्ध है। शेष उम्मीदवारों की जानकारी संधारित नही की गई है। बिन्दु क्रमांक 01 व 02 के अंतर्गत वांछित शेष जानकारी/दस्तावेज आवेदक को प्रदान

...रने के लिए जानकारी सृजित किया जाना होगा। अतएव भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1/18/2011–आई. आर. दिनांक 16.09.2011 के अनुसार जानकारी/दस्तावेज सृजन कर दिये जाने का प्रावधान नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मार्गदर्शिका कंड़िका –10 अनुसार केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना आपेक्षित नही है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा कंडिका 04/–टीप में की गई कार्यवाही एवं कंड़िका 05/–टीप के पैरा **(iv)** में दिये गये तर्क नियम संगत है, जो अपीलार्थी के शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होता है।

प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी को जानकारी निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध करायी गई है। जैसा कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा लेख किया गया है कि शेष जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने हेतु जानकारी सृजित किया जाना होगा। जिसके संबंध में **भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/18/2011–आई.आर. दिनांक 16.09.2011 का अनुसरण किया जा सकता है। उक्त ज्ञापन के तहत जानकारी/दस्तावेज सृजन कर दिये जाने की बाध्यता नही है। केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नही है।**

लेख है कि छ0 ग0 राज्य में नोबल कोरोना वायरस (COVID –19) के भयंकर संक्रमण एवं रोकथाम के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक सामाजिक दूरी बनाये रखने के दृष्टिगत निरंतर लॉकडाउन की स्थिति थी। कार्यालयीन कार्यो में शासन के निर्देश के अनुरूप (पूर्व में एक तिहाई तथा वर्तमान में 50 प्रतिशत) कार्मिको की सेवाएं कार्यालयीन कार्यो में लिये जाने के परिणाम स्वरूप दैनंदिनी व समय–सीमा प्रकरण संबंधी कार्यालयीन कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार से संबंधित प्रथम अपील प्रकरण में कार्यवाही समय–सीमा में नही की जा सकी है।

जहाँ तक अपीलार्थी का अपील का प्रश्न है, पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध जानकारी/दस्तावेज से अवगत करायी जा चुकी है। शेष जानकारी को सृजित किया जाना होगा। अतः भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/18/2011–आई.आर. दिनांक 16.09.2011 के दृष्टिगत जानकारी/दस्तावेज सृजित कर दिये जाने की बाध्यता नही है।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 12/2020 दिनांक 12.03.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

10/6/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

ाक :– 01–02/अपील प्रकरण –12/2020/ 23   रायपुर, दिनांक 10/06/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा0सं0)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) श्री संतोष कोसरिया, मॉ शीतला वार्ड नबंर –6 गुरू घासीदास मंदिर के सामने, खरोरा, तहसील– तिल्दा जिला–रायपुर (छ0ग0) पिन– 493225 को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

10/06/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर – 492013, (छ.ग.)
दूरभाष – 2574700, फैक्स – 0771-2574157, वेबसाईट : www.cspc.co.in, ईमेल : hr.csphcl@cspc.co.in